

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

0116 No. 29/2017 18

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....

सा०.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
25.05.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1831/सी०आर० दिनांक 20.05.2017 द्वारा महेशखूंट थाना काण्ड संख्या-97/2016 दिनांक 19.10.2016 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-375 एम०एल० का 32 बोतल, एवं 180 एम०एल० का 42 रायल स्टेग कम्पनी का कुल-19.56 लीटर विदेशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष महेशखूंट का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>विदेशी शराब 375 एम०एल० का 32 बोतल एवं 180 एम०एल० का 42 बोतल विदेशी शराब कुल-19.56 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि महेशखूंट थाना काण्ड संख्या-97/2016 में जप्त देशी/विदेशी शराब कुल-19.56 लीटर का अपन देख रेखा में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक खगड़िया/थानाध्यक्ष, महेशखूंट /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>Handwritten notes in Hindi and English, including dates and signatures, are present in this column.</p>



समाहर्ता, खगड़िया।

समाहर्ता, खगड़िया।